

27

द्वितीय बमुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 345/2018

1. गुरबचनकौर पत्नी हरभजनसिंह पुत्री गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर
तहसील ऐलनाबाद जिला शिरसा।
वादीया

बनाम्

1. हरदीपसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री करनैलसिंह वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री महावीर
वर्मा प्रतिवादी मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है
कि चकनं0 6 जीजीआर के खाता सं0 282/56 के में अंकित कुल 6.306 है0
अनकमाण्ड मय गै0मु0 आराजी में से प्रतिवादी के नाम से दर्ज 1.012 है0 में से 0.380
है0 आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 6
जीजीआर के खाता सं0 282/56 मे से प्रतिवादी का हिस्सा कम किया जाकर शेष
हिस्सा प्रतिवादी का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व
अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने
के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....वाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक2018/08/20/18
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2018/08/20/18.....को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक-कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी